# कार्यकारी सारांश

## कार्यकारी सारांश

### पृष्ठभूमि

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा अनेक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना 2011 से संगृहित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

**अध्याय-1**

**विहंगावलोकन**

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का 2020-21 में ₹ 1,450 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ थीं। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के 0.90 *प्रतिशत* के प्रति 2020-21 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.18 *प्रतिशत* हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार वहन करता है।

**(पैराग्राफ 1.5)**

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का राजकोषीय घाटा जो 2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ था जो कि अधिशेष में परिवर्तित होकर 2017-18 के दौरान ₹ 113 करोड़ तथा 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹ 2,237 करोड़ हो गया, जो पुनः 2019-20 तथा 2020-21 में क्रमशः ₹ 416 करोड़ तथा ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया।

**(पैराग्राफ 1.5)**

**अध्याय-2**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त**

- राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,272 करोड़ (11.18 *प्रतिशत*) घट गई। वर्ष 2020-21 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियाँ लगभग 72.63 *प्रतिशत* थी जबकि सहायता अनुदान का योगदान

27.37 *प्रतिशत* था। कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं कर राजस्व का अंश 2016-17 में 90.67 *प्रतिशत* से घटकर 2020-21 में 70.29 *प्रतिशत* हो गया।

**(पैराग्राफ 2.3.2.1)**

- गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ 2019-20 में ₹ 823 करोड़ से 23.33 *प्रतिशत* तक घट कर 2020-21 में ₹ 631 करोड़ हो गईं। भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के बढ़ते प्रवाह के कारण ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2019-20 में ₹ 4,765 करोड़ से 99.37 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ हो गई।

**(पैराग्राफ 2.3.3)**

- पूँजीगत व्यय वर्ष 2016-21 के दौरान ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 5,472 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जबकि राजस्व व्यय उसी अंतराल में लगातार बढ़ा। पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में ₹ 5,472 करोड़ से (14.13 *प्रतिशत*) घटकर ₹ 4,699 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.14 *प्रतिशत* था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमश: 9.55 *प्रतिशत* तथा 8.31 *प्रतिशत* था।

**(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.3)**

- राजस्व व्यय 2016-17 में ₹ 29,302 करोड़ से 37.92 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2019-20 में ₹ 39,637 करोड़ से 1.96 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश पिछले पांच वर्षों की तुलना में 34.88 *प्रतिशत* से 36.34 *प्रतिशत* तक रहा।

**(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.2)**

- सब्सिडी पर व्यय 2016-17 में ₹ 2,160 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 4,177 करोड़ (93.38 *प्रतिशत*) हो गया। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 16.25 *प्रतिशत* बढ़ गया। स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2019-20 में ₹ 16,232.97 करोड़ से 13.35 *प्रतिशत* बढ़कर 2020-21 में ₹ 18,400.04 करोड़ हो गई।

**(पैराग्राफ 2.4.2.4 एवं 2.4.2.5)**

- 2020-21 में सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 500 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2016-17 से 2020-21 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.05 *प्रतिशत* से 0.08 *प्रतिशत* के बीच की श्रेणी का था जबकि सरकार ने 2020-21 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

**(पैराग्राफ 2.4.3.2)**

- रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियाँ शामिल है। 2020-21 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,002 करोड़ (₹ 46,867 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य को ऋण प्राप्ति के तहत बैक टू बैक ऋण के रुप में दिए गए ₹ 5,865 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। सरकार का ऋण 2016-17 के अंत में ₹ 33,345 करोड़ से ₹ 7,657 करोड़ (22.96 *प्रतिशत*) बढ़कर 2020-21 के अंत में ₹ 41,002 करोड़ हो गया।

**(पैराग्राफ 2.5 एवं 2.5.1)**

**अध्याय-3**

**बजटीय प्रबंधन**

- 2020-21 के दौरान ₹ 65,891.87 करोड़ (कुल बजट का 19.72 *प्रतिशत*) के कुल अनुदान एवं विनियोजन के प्रति ₹ 12,996.11 करोड़ की कुल बचत थी।

**(पैराग्राफ 3.1.1 एवं 3.3.3)**

- सात मामलों में ₹ 604.36 करोड़ का पूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। आठ अनुदानों में फैले 16 उप-शीर्षों के तहत अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किये गये थे क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे तथा ₹ 401.57 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति ₹ 940.02 करोड़ की संचयी बचत हुई।

**(पैराग्राफ 3.3.1 एवं 3.3.2)**

- रा.रा.क्षे.दि.स. ने व्यय के सटीक वस्तु शीर्ष की पहचान किए बिना चार अनुदानों के अंतर्गत कुल ₹ 213.06 करोड़ के एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया, जिसके प्रति ₹ 186.85 करोड़ व्यय किए गए।

**(पैराग्राफ 3.4.1)**

- ₹ 12,996.11 करोड़ की कुल बचत में से मार्च में ₹ 6,104.24 करोड़ (46.97 *प्रतिशत*) की बचत को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

**(पैराग्राफ 3.5.1)**

- नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत 88 उप-शीर्षों में, ₹ 864.82 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया।

**(पैराग्राफ 3.5.2)**

- 2020-21 के दौरान ₹ 52,468.04 करोड़ के कुल व्यय में से (₹ 427.72 करोड़ की वसूली के अलावा) ₹ 21,019.73 करोड़ {बजट अनुमान (ब.अ.) 31.90 *प्रतिशत*} का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि मार्च 2021 के दौरान ₹ 11,815 करोड़ (ब.अ. 17.93 *प्रतिशत*) व्यय किए गए थे। आगे, पांच अनुदानों के अंतर्गत 13 उप-शीर्षों में ₹ 2,621.37 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2021 में किया गया।

**(पैराग्राफ 3.5.3)**

**अध्याय-4**

**लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली**

- लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 114.32 करोड़ की राशि के 1,081 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) (53.89 *प्रतिशत*) बकाया थे जबकि 2011-12 से 2019-20 तक ₹ 8,935.13 करोड़ की राशि के 925 उ.प्र. (46.11 *प्रतिशत*) बकाया थे।

**(पैराग्राफ 4.2)**

- मार्च 2021 तक ₹ 735.10 करोड़ के कुल 4,936 सार आकस्मिक (सा.आ.) बिल बकाया थे। 57 सरकारी विभागों ने वित्त वर्ष 2020-21 के खाते बंद होने से पहले ₹ 265.52 करोड़ की राशि के 307 विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिल जमा नहीं किए। अतः इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्त वर्ष के दौरान ये व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया गया था।

**(पैराग्राफ 4.3)**

- 2020-21 के दौरान ₹ 45,112.48 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,205.42 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.76 *प्रतिशत* था, जबकि

₹ 30,405.00 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 592.04 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.95 *प्रतिशत* था।

**(पैराग्राफ 4.5)**

- नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/ प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा 2020-21 तक देय 11 निकायों/प्राधिकरणों के 33 वार्षिक लेखे सितम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

**(पैराग्राफ 4.6)**

**अध्याय -5**

**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.)**

- 31 मार्च 2021 को, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी, दो सांविधिक निगमों तथा 15 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।

**(पैराग्राफ 5.3.1)**

- 2019-20 की तरह 2020-21 में भी 10 लाभ अर्जित करने वाले रा.सा.क्षे.उ. थे। लाभ कमाने वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ 2019-20 में ₹ 1,123.10 करोड़ से बढ़कर 2020-21 के दौरान ₹ 2,809.65 करोड़ हो गया। 2020-21 में ₹ 2,705.65 करोड़ के निवल लाभ जो 10 रा.सा.क्षे.उ. के कुल लाभ का 96.30 *प्रतिशत* था, में पाँच रा.सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान किया गया था। एक रा.सा.क्षे.उ. में न कोई लाभ हुआ और न हानि हुई।

**(पैराग्राफ 5.5.1)**

- सात रा.सा.क्षे.उ. ऐसे थे जिसमें उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार मार्च 2021 के अंत में हानियाँ हुई थी। इन हानि वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा होने वाली हानियाँ 2018-19 में ₹ 4,386.79 करोड़ तथा 2019-20 में ₹ 5,294.16 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 6,162.64 करोड़ हो गई। 2020-21 के दौरान इन सात हानि-वाले रा.सा.क्षे.उ. द्वारा की गई ₹ 6,162.64 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 6,147.06 करोड़ (99.75 *प्रतिशत*) की हानि अकेले दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई थी।

**(पैराग्राफ 5.8.1)**

- इन रा.सा.क्षे.उ. की संचित हानि के कारण 31 मार्च 2021 तक दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड एवं दिल्ली परिवहन निगम के निवल मूल्य (-) ₹ 43,271.94 करोड़ था।

**(पैराग्राफ 5.8.2)**

- 30 नवम्बर 2021 तक 16 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों को नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के लिए लेखा तैयार करने और जमा करने की आवश्यकता थी। हालांकि वर्ष 2020-21 के लिए आठ सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के लेखे बकाये थे तथा दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के लेखे छः वर्षों (2015-16 से 2020-21) से बकाये थे।

**(पैराग्राफ 5.11.2 एवं 5.11.3)**